2022/206

30.3.22
21.4.22
31.5.22
20.9.22
15.11.22
20.12.22

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 23028

ता. पेशी स्टेज

जनरल रूल्स [illegible] फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड [illegible] –भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाल 5
धारा 183-188	2/22	5/1/22	Abate 6/4/22	

अनवान

श्री मदनलाल पिता मोतीलाल बनाम श्री भंगीलाल पिता धूलू धाकड़

v/s

निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट **अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट**

Ex Party

डिक्रीदार **रेस्पाडेन्ट / मदयूलाह**

श्री ओमप्रकाश शर्मा श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बिजौलियां**

वादी / प्रधनलाल **बनाम** मांगीलाल

किस्म मुकदमा 183-188 नम्बर 2 सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 30/3/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	
30/3/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। ... दिनांक 21.4.22 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/4/22	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी को बार समन तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। बार-बार आवाज दिलायी गयी गैर हाजिर रहे। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि. 31.5.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
31/05/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्र... दिनांक 12.07.22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि. 16.8.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

वादी / प्र[illegible] मदनलाल .... बनाम .... मांगीलाल

किस्म मुकदमा 183-188 नम्बर ....2...... सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 30/ 3 /2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
30/3/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. [illegible] पर [illegible] दिनांक 21.4.22 को वास्ते तलबी पेश हों। उप खण्ड अधिकारी	
21/4/22	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी को बार समन तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। बार-बार आवाज दिलाई गयी गैर हाजिर रहे। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 31.5.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
31/05/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रा[illegible] दिनांक 12.07.22 को वास्ते सा.वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 16.8.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

16.08.2022 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 20.09.2022 को पेश हो।

0.09.2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के प्रतिनिधित्व पत्र पर अधिवक्ता सुनील धाकड़ उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 15.11.22 को पेश हो।

15/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित साक्ष्यवादी मे अवसर चाहते है जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 20.12.22 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

20/12/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। [illegible] दिनांक 7.2.23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

7/2/23 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली साक्ष्य के लिए अवसर चाहते है। पत्रावली दि. 14 साक्ष्यवादी दिनांक 14/3/23 को पेश हो।

/3/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 18/4/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

4/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पात्रावली दिनांक 23/5/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

मदनलाल **बनाम** मांगीलाल

क़िस्म मुकदमा 183-188 RTA **नं.** 2/22 **वर्ष**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/5/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/6/23 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/7/23 को वास्ते साक्ष्य पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। वादी के बयान लेखबद्ध किए गए। वादी और किसी अन्य गवाह को साक्ष्य हेतु पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः वादी की साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	मदनलाल
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 10/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

दिनांक	कार्यवाही
10/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्त निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13/10/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा
13/10/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिका[illegible]
12/12/23	पत्रावली पेश [illegible] अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् [illegible] हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/1/24 [illegible] निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/2/24 को वास्त निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
6/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। एवं पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्री बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या :– 02/2022 दायर तारीख 05.01.2022

अनवान

मदनलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादी

बनाम

मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.... प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 06/02/2024

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी संख्या 253/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म माल तृतीय नहरी कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। वादी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात का रहन विक्रय नहीं किया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी ने 0–10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा हैं। वादी को वादग्रस्त आराजीयात पर फसल काश्त नहीं करने देता हैं और उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया हैं। वादी ने प्रतिवादी को 0–10 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी लड़ाई झगड़ा करने लग गया हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की दिनांक 25.06.2021 को पत्थरगढी करवायी जिससे ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी का 0–10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादी कब्जा हटाने के लिये तैयार नही हुये और कब्जा वादी को नहीं सोपा इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी संख्या 253/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म माल तृतीय नहरी कृषि भूमि से प्रतिवादी मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) का कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के सादिर फरमायी जावें प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें व न ही किसी अन्य से करवाये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से वाबजूद तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 मदनलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ नि0 देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) को प्रस्तुत कर कथन लेखबद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि ExP-1 पेश की हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मौजा लक्ष्मीखेड़ा की नकल पेश की जो ExP-2 हैं। नकल नक्शा ट्रेस ExP-3 पेश की हैं।

प्रकरण में प्रतिवादी का कोई जवाबदावा, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी मदनलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ नि0 देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) के बयान कराये हैं। उक्त वादी की भूमि पर प्रतिवादी मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा दिलाये जाने की मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मौजा लक्ष्मीखेड़ा में स्थित आराजी संख्या 253/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) का कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी चाही हैं। जो वादी की पत्रावली में पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा में स्थित आराजी संख्या 253/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी मांगीलाल पिता बालू जाति धाकड़ निवासी देवरी की नूण (लक्ष्मीखेड़ा) को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसीं अन्य से करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 06/02/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)